बैसाखी के सहारे जनदर्शन में पहुंचे जगमोहन का मौके पर बना आयुष्मान कार्ड, बनेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, होगा इलाज

❐ जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी जनसामान्य की समस्याएं

रायगढ़

दाएं पैर से दिव्यांग जगमोहन बैसाखी के सहारे आज जनदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए कलेक्टर गोयल से आग्रह किया। कलेक्टर गोयल ने उनकी स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को तत्काल आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने जगमोहन का आयुष्मान कार्ड बनाया। जिसे कलेक्टर गोयल ने जनदर्शन में ही उन्हें सौंपा। इसके साथ ही कलेक्टर गोयल ने स्वास्थ्य विभाग को जगमोहन के बेहतर ईलाज सुनिश्चित करने एवं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर देने के भी निर्देश दिए।

धरमजयगढ़ के लक्ष्मीनगर निवासी जगमोहन यादव बिलाईमुडा, उड़ीसा में एक फ्लोर माइंस में सुरक्षा गार्ड का कार्य करते थे, जहां से वे निजी कार्य से अपने निवास ग्राम लक्ष्मी नगर जा रहे थे। रास्ते में उनके मोटरसाइकिल को आगे से आ रही अनियंत्रित पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे उनका दाहिना पैर घुटने के पास से क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे आज उन्हें दैनिक कार्य करने के साथ जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जनदर्शन में आज रायगढ़ निवासी कंचन मिश्रा आवास की मांग लेकर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से वे रायगढ़ में निवासरत हैं एवं उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है जिससे बड़ी मुश्किल से उनका जीवन यापन हो पा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थाई आवास दिलवाने का आग्रह किया। कलेक्टर गोयल ने आयुक्त नगर निगम को आवेदन की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम-कठानी निवासी लेकरू सिदार आवास की मांग को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वे रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करते है, उनका अंत्योदय राशन कार्ड भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम कठानी बस्ती के बाहर शासकीय भूमि पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कलेक्टर गोयल से आग्रह किया कि भूमि आवंटित कर पीएम आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सेमरा के ग्रामवासी रोजगार सहायक को हटाने की मांग को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि ग्राम में नियुक्त रोजगार सहायक द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। मनरेगा कार्य में मनमानी करते हुए मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं किया जाता साथ ही रोजगार सहायक का कार्य भी अन्य व्यक्ति से करवाने जैसे विभिन्न शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर गोयल उक्त दोनों आवेदनों पर जनपद पंचायत पुसौर को आवश्यक कार्यवाही निर्देशित किया।

ग्राम पंचायत नावागांव के ग्रामीण शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनदर्शन पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत नावागांव में काफी समय से अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। जिससे गांव में बाहरी लोगों का आना-जाना लगा रहता है। साथ ही प्राय: गांव में लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके साथ ही बच्चों युवाओं और महिलाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। युवा नशे के आदि हो रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर गोयल से अनुरोध किया कि ग्राम में शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाया जाए। कलेक्टर गोयल ने आबकारी विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

ग्राम कठली निवासी वर्षा सिंह ठाकुर आरबीसी 6-4 के तहत सहायता राशि की मांग हेतु आवेदन लेकर जनदर्शन में पहुंची थी। उन्होंने बताया कि उनके पति हेमेंद्र सिंह ठाकुर की मृत्यु गत वर्ष तालाब में नहाने के दौरान पानी में डूबने से हो गई है। उन्होंने कलेक्टर गोयल से आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का आग्रह किया। जिस पर कलेक्टर गोयल आवेदन के निराकरण हेतु राहत शाखा को निर्देशित किया। इसी प्रकार राशन, आवास, विद्युत, राजस्व के विभिन्न आवेदन जनदर्शन में प्राप्त हुए। जिसे कलेक्टर गोयल ने विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में प्राप्त आवेदनों का निराकरण हेतु निर्देशित किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

महत्वपूर्ण एवं खास

सारंगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हेतु 22 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत नगरीय निकाय सारंगढ़ के वार्ड 10 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु इच्छुक महिला उम्मीदवार से एकीकृत बाल विकास परियोजना खेलभांठा सारंगढ़ में 22 अप्रैल 2025 तक आवेदन आमंत्रित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए योग्यता आठवी उत्तीर्ण निर्धारित है। इसी प्रकार आवेदिका को संबंधित वार्ड या नगरीय निकाय का निवासी होना चाहिए। नगरीय निकाय के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर उसकी कॉपी या निवास प्रमाण पत्र में वार्ड के निवासी के लिए पार्षद या पटवारी का हस्ताक्षर होना चाहिए। आवेदिका की उम्र 18 से 44 वर्ष तक होनी चाहिए। सभी दस्तावेज, 12वी, 8वी की अंकसूची, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि के फोटोकॉपी में स्वयं के हस्ताक्षर कर स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

उभयलिंगी, दिव्यांग और सियान के लिए हेल्पलाइन 18002338989

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सेवा जतन सरोकार के ध्येय वाक्य से उभयलिंगी, दिव्यांग और सियान की सेवा समाज कल्याण विभाग की ओर से निरंतर की जा रही है। इन जरूरतमंद नागरिकों के लिए डायल करव समाधान पावव के तहत, हेल्पलाइन सेंटर सातों दिन 24 घंटे संचालित किया जा रहा है, जिसका नंबर 18002338989 है। इस हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर कोई भी जरूरतमंद समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं, नजदीकी वृद्ध आश्रम एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली चिकित्सा सेवा, उपकरण वितरण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

बीपीएल परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर बीस हजार रुपए की सहायता

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत किसी बीपीएल परिवार के ऐसे सदस्य जिनके कमाई से परिवार की आजीविका चलती हो ऐसे कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिस मुखिया को अनुदान सहायता के रूप में रु.20000 (बीस हजार) की सहायता दी जाती है। इस योजना में वह व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी बीपीएल सर्वे सूची में नाम दर्ज हो। इस आवेदन को ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके आवश्यक दस्तावेजों में आवेदन पत्र के साथ परिवार के मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, बीपीएल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, एक रंगीन पासपोर्ट फोटो और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

बरमकेला क्षेत्र के भकुर्रा में आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 22 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग के बरमकेला परियोजना अंतर्गत ग्राम भकुर्रा के आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए आंगनबाड़ी सहायिका पद की भर्ती हेतु 22 अप्रैल 2025 तक कार्यालयीन समय में परियोजना अधिकारी कार्यालय, एकीकृत बाल विकास परियोजना, बरमकेला के पता में आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए योग्यता आठवी उत्तीर्ण निर्धारित है। इसी प्रकार आवेदिका को संबंधित गांव का निवासी होना चाहिए। गांव के मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो सूची की कॉपी आवेदन में संलग्न की जाए या निवास प्रमाण पत्र में गांव के सरपंच और सचिव दोनों का हस्ताक्षर होना चाहिए या पटवारी का हस्ताक्षर होना चाहिए। आवेदिका की उम्र 18 से 44 वर्ष तक होनी चाहिए। सभी दस्तावेज 8वी की अंकसूची, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि के फोटोकॉपी में स्वयं के हस्ताक्षर कर स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

महिला नगर सैनिक की हत्या में नया मोड़ : भाई ने कहा कस्तूरबा विद्यालय में अधीक्षिका की शिकायत की मिली सजा

गरियाबंद-रायपुर । आरएनएस

जिले में महिला नगर सैनिक ओमिका धुरव की 12 अप्रैल को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. अब इस मामले में नया मोड़ आया है. मृतका के भाई गावेंद्र ध्रुव ने वीडियो बयान दावा किया है कि उनकी बहन को गरियाबंद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अनियमितताओं का भंडाफोड़ करने की सजा मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि इस शिकायत से नाराज लोगों ने आरोपी पति सोहन साहू को झूठी कहानियां सुना कर हत्या के लिए उकसाया. गौरतलब है कि पति सोहन साहू ने अपनी पत्नी ओमिका ध्रुव की गला घोंटकर हत्या कर की थी. मामलें में पुलिस ने आरोपी पति सोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. यह वारदात ओमिका अपने पति के साथ कोतवाली पोस्टिंग का आदेश लेने के लिए जा रहे थे.मृतका के भाई गावेंद्र ने वीडियो में कहा कि ओमिका ने गरियाबंद कस्तूरबा विद्यालय में पदस्थ रहते हुए विद्यालय की अधीक्षिका अमिता मेढे के खिलाफ शिकायत की थी. इस शिकायत के आधार पर 6 फरवरी को कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने छात्रावास का निरीक्षण किया, इस दौरान सामने आया कि छात्राओं को दबावपूर्वक परिसर से बाहर ले जाया जाता है. गेट रजिस्टर में एंट्री नहीं हो रही है. अधीक्षिका के पति व देवर को परिसर में आसानी से प्रवेश मिल जाता है. इन तथ्यों के आधार पर अधीक्षिका को 10 फरवरी को कार्यमुक्त कर दिया गया. हटाए जाने के बाद, अमिता मेढे ने न्यायालय का रुख किया और 4 मार्च को अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. गावेंद्र का आरोप है कि इसके बाद से ही ओमिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा और उनके चरित्र पर लांछन लगाए गए, जिससे उनका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हुआ.बता दें कि ओमिका ने साल 2014 में सोहन साहू से लव मैरिज की थी, दोनों के दो बच्चे हैं. अधीक्षिका के कार्यमुक्त होने के बाद लगातार प्रताडऩा से परेशान होकर वे पिछले कुछ दिनों से मायके में रह रही थी. 29 मार्च से 7 अप्रैल तक अवकाश पर थीं. उन्होंने अपनी पोस्टिंग कोतवाली में कराने की कोशिश की थी और 12 अप्रैल को आदेश लेने जा रही थीं, उसी दौरान उसके पति ने हत्या कर दी.हालांकि इस मामले अब तक कोई भी लिखित शिकायत पुलिस में नहीं किया गया है. मृतका के भाई द्वारा लगाए गए आरोप पर एडिशनल एसपी जितेन्द्र चंद्राकर का कहना है कि शिकायत मिलेगी तो इस दिशा में जांच करेंगे, फिलहाल पीड़ित पक्ष से कोई आवेदन नहीं है.

पिकअप वाहन से मवेशी तस्करी, 13 बछड़े छुड़ाया गया

चिचोला-रायपुर । आरएनएस

पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग व अति. पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव राहूल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देशन पर मवेशी तस्कर व असमाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान कार्यवाही किया जा रहा है,इसी क्रम में दिनांक 15.04.2025 को मुखबीर की सूचना मिली कि पिकअप वाहन के चालक द्वारा मवेशियों को बिना चारा पानी के क्रुरता पूर्वक ठूंस ठूंसकर भरकर परिवहन करते राजनांदगांव से कत्लखाना महाराष्ट्र की ओर ले जा रहा है , सूचना तस्दीक कर राजनांदगांव तरफ से आ रहे वाहन क्रमांक सीजी -04-क्क&-1261 का रोका गया जो चालक पुलिस वाहन को देखकर अपने पिकअप वाहन को लेकर महाराजपुर बस्ती तरफ भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पिकअप वाहन के ड्रायवर सीट पर बैठा व्यक्ति पकड़ाया और दूसरा व्यक्ति कूद कर भाग गया ,पकड़ाये व्यक्ति का नाम पता पुछने पर अपना नाम आकाश भारती उफर् आसू पिता तुला राम भारती उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर -02 नवागांव बजरंगपुर राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया एव पीकप वाहन के अंदर कुल 13 नग बछड़ा (मवेशी) बिना चारा पानी के क्रुरता पूर्वक भरा मिला, आरोपी से पूछताछ पर अपराध स्वीकार करते हुए मवेशियों को कत्लखाना ले जाना बताया, बाद विधिवत कार्यवाही आरोपी को गिरफतार कर माननीय न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया।

ग्राम बैहामुडा में घरघोड़ा पुलिस की शराब रेड कार्यवाई, 15 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

दिनांक 15 अप्रैल 2025 को घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम बैहामुडा में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री के आरोप में लक्ष्मीनारायण सारथी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली थी कि बैहामुडा निवासी लक्ष्मीनारायण अपने घर पर शराब बिक्री के लिए प्लास्टिक के जरिकेन में शराब लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए गांव के पानी टंकी के पास घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसकी पहचान लक्ष्मीनारायण सारथी पिता गुलाब राम सारथी उम्र 38 वर्ष निवासी बैहामुडा, थाना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से 20 लीटर की क्षमता वाली प्लास्टिक की जरिकेन में लगभग 15 लीटर महुआ शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत रु.2,250 है। पूछताछ में आरोपी शराब संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना घरघोड़ा में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा और खगेश्वर नेताम की सक्रिय भूमिका रही।

3 नवीन कानून के लिए प्रशिक्षण सत्र का हुआ आयोजन

बिलासपुर-रायपुर । आरएनएस

दिनांक 01 जुलाई, 2024 से लागू हुए 03 नवीन कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम विषय पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, दूरसंचार इकाई तथा विशेष शाखा के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिये जाने के अनुक्रम में दिनांक 15 अप्रैल, 2025 को डॉ. संजीव शुक्ला भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज के निर्देशन पर रेंज पु.म.नि. कार्यालय बिलासपुर में इन इकाईयों के राजपत्रित अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उक्त प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ रेंज पु.म.नि. बिलासपुर डॉ.संजीव शुक्ला भापुसे द्वारा किया गया जिनके द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अंतर्गत बहुत से प्रावधानों में परिवर्तन हुए हैं कुछ नये प्रावधान जोड़े भी गये हैं, डिजीटल साक्ष्य को ग्राह्य किया गया है। नये कानूनों में हुए बदलाव व प्रावधानों की बारीकियों को समझनें हेतु 01 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया है। डॉ शुक्ला द्वारा प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित अधिकारियों को इस प्रशिक्षण का लाभ लेते हुए नवीन कानून की जानकारी प्राप्त करने निर्देशित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर अधिकारी मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा अर्चना झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, बिलासपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विषय पर उपस्थित अधिकारियों को प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। उक्त प्रशिक्षण सत्र में बिलासपुर रेंज छसबल इकाई 6वी वाहिनी से उप सेनानी सुरेशा चौबे, 11वी वाहिनी से उप सेनानी संतोष बोरकर सहित 02री वाहिनी 6वी वाहिनी, 11वी वाहिनी, 13 वाहिनी के 09 सहायक सेनानी, दूरसंचार इकाई के 03 उप पुलिस अधीक्षक दूरसंचार तथा जिला सारंगढ़ के 01 तथा जिला मुंगेली के 01 उप पुलिस अधीक्षक सहित कुल 16 अधिकारी उपस्थित रहे।

तीन साल बाद पकड़ाया हाफ मर्डर के मामले में फरार आरोपी

मुंगेली । आरएनएस

मुंगेली के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए हत्या के प्रसास के मामले मे फरार एक आरोपी को पुलिस ने आखिरकार तीन साल बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है। इसी मामले में तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 16.05.2022 को प्रार्थी हमीद खान निवासी दाऊपारा मुंगेली के द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली मे रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 16.05.2022 के रात्रि करीबन 09.30 बजे घर से दुकान आते समय उसके पुत्र समीर एवं शमीद खान को मुंगेली के लक्की पाठक अपने साथी महेश साहू, अविनाश शर्मा एवं सानो उर्फ सुमित पतरंस के साथ मिलकर चाकू एवं लोहे के राड तथा हाथ मुक्का से मारपीट कर चोंट पहुंचाये है एवं उसके दोनों पुत्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।

रिपोर्ट पर प्रथम दृष्ट्या धारा 294,323,324,506,34 भा.द.स. का होना पाये जाने से धारा सदर का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दरम्यान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया प्रार्थी एवं गवाहों तथा दोनो आहतो का कथन लिया गया, आहत के मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर एवं आरोपियों के द्वारा हत्या करने के नियत से मारपीट करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 307 भादंस जोड़ी गई। विवेचना दौरान आरोपी लक्की उर्फ अवि पाठक के अपराध में प्रयुक्त चाकू तथा आरोपी महेश साहू से लोहे का राड मेमोरेण्डम कथन/निशादेही मे जप्त कर आरोपी लक्की उर्फ अवि पाठक, महेश साहू तथा सानो उर्फ सुमित पत्तरस को दिनांक समय सदर पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया, प्रकरण में आरोपीगण लक्की उर्फ अवि पाठक, महेश साहू, सोमू उर्फ सूमित पतरस को गिरफ्तार कर पूर्व में न्यायालय पेश किया गया है। वहीं प्रकरण के फरार आरोपी आरोपी अविनाश शर्मा पिता ओकार शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी हीरालाल वार्ड मुंगेली जिला-मुंगेली के विरूद्ध धारा 173 (8) जा. फौ. के तहत विवेचना जारी रखा गया, वर्ष 2022 से फरार आरोपी अविनाश शर्मा की लगातार पतासाजी की जा रही थी इसी दौरान दिनांक 14.04.2025 को मुखबीर सूचना पर आरोपी अविनाश शर्मा को शराब भ_ी घुठेरा नवागांव रोड मुंगेली के पास से पकडक़र विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश, 9 गिरफ्तार

राजनांदगांव । आरएनएस

राजनांदगांव की सोमनी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर चोर गिरोह का पर्दाफ ाश करते हुए तीन चोर तथा 6 खरीददार सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 नग दुपहिया वाहन एवं दो नग कटा हुआ दुपहिया वाहन जप्त किया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी टहलदास निर्मलकर पिता सुरेश निर्मलकर उम्र 36 साल निवासी ग्राम ठाकुरटोला दिनांक 13.04.2025 को थाना सोमनी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका मोटर सयकल सुपर स्प्लेण्डर क्रमांक सीजी 08 जी 9985 को उसके घर के सामने से शाम करीबन 04:30 बजे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। थाना सोमनी पुलिस एवं सायबर सेल की टीम गठित कर आरोपी पता तलाश दौरान मुखबीर सूचना पर से संदेही देवेन्द्र साहू पिता हुकुमचंद साहू उम्र 31 साल निवासी ग्राम बरगाही थाना घुमका जिला राजनांदगांव छ0ग0 को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर घटना दिनांक 13.04.2025 को अपने दोस्त तामेश्वर बारले के साथ मिलकर अपने चोरी के मो.सा.एचएफ डिलक्स से मो.सा. सुपर स्प्लेण्डर क्रमांक सीजी 08 जी 9985 को ग्राम ठाकुर टोला से चोरी करना बताये, आरोपी देवेन्द्र साहू से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपने दोस्त तामेश्वर वर्मा पिता मोरध्वज वर्मा उम्र 23 साल निवासी ग्राम ठेलकाडीह थाना ठेलकाडीह जिला केसीजी छग के साथ मिलकर विभिन्न स्थानो 01. उरला दुर्ग ओव्हर ब्रिज के उपर से एक नीले रंग की पल्सर को चोरी कर बुंदेली के नितेश वर्मा को 15 हजार रूपये में बेचना, 02. करीबन 4-5 माह पहले राजनांदगांव के राजइम्पीरियल होटल के पास से बजाज सीटी 100 नीले रंग को चोरी कर रंग से पेंट कर बुंदेली के नितेश वर्मा को 5,000 मे बेचना, 03. करीबन 4 माह पहले खैरागढ शराब भटटी के पास से सुपर स्पैंडर को चोरी कर बुंदेली के रूपेश वर्मा को 10,000 रू मे बेचना, 04. करीबन 4 माह पहले तुमडीबोड जाकर सुपर स्पैंडर काला ग्रे रंग मोसा. को चोरी कर भोथी जालबांधा के दुलेश्वर वर्मा को 10,000 रूपये में बेचना, 05. करीबन 2 माह पहले कोहका बाजार चिचोला के पास काले रंग की स्पैंडर प्लस चोरी कर बुंदेली के संजय वर्मा को 10,000 रूपये में बेचना, 06. करीबन 2 माह पहले मोहारा शराब भटटी से एक सफेद रंग के एक्टीवा स्कूटी को चोरी कर धौराभांठा के संजय वर्मा को 8,000 रूपये में बेचना, 07. करीबन 2 माह पहले राजनांदगांव के चौपाटी के पास से काले रंग का एक्टीवा चोरी किये है। 08. करीबन 1 माह पूर्व खैरागढ शराब भटटी के पास से मोसा. होण्डा ड्रीम युगा को चोरी किये थे जिसे दुकान मे ब्लेड से कांट कर अब्दूल खान कबाडी तिलई के पास टूकडा टूकडा कर के बेचनां, 09. करीबन 20 दिन पहले सिंघोला करमतरा के पास से एचएफ डिलक्स लाल काले रंग की मोसा. को चोरी करना, 10. करीबन 01 सप्ताह पूर्व ग्राम बघेरा सोमनी से एक मोसा. स्पलेण्डर प्लस काला रंग को बताये, आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त मोसा एक्टीवा क्रमांक सीजी 07 व औजार को एवं चोरी की गयी मोटरसायकल 10 नग कुल कीमती 5,40,000 रूपये को आरोपीगण से जप्त कर कब्जे में लिया गया है। आरोपीगण के विरूद्ध धारा 35(1)(म्) बी.एन.एस.एस., 317(2), 303(2) बीएनएस के तहत विधिवत कार्यवाही कर न्यायलय पेश किया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU